

(दस्तावेज़)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दूधू जिला जयपुर

क्रमांक / राजस्व / 2019 / 1972

दिनांक - 24/12/19

श्रीमान अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम महोदय
एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा,
जयपुर

विषय :- प्रार्थना पत्र श्री पृथ्वीसिंह निवासी जयपुर बाबत ग्राम झरना तहसील मौजमाबाद स्थिति खसरा नं० 980, 1120/890/1 कुल रकबा 15175.60 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि के भू उपयोग की अवधि बढ़ाने बाबत।
प्रसंग:- श्रीमान के पत्रांक आर-18 बी(109)06/आर/3523 दिनांक 30.07.2019

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में तहसीलदार मौजमाबाद से रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि के भू उपयोग की अवधि बढ़ाने बाबत जमावर्दी सवत् 2074-77 (वर्ष 2019 से स्थाई) के खाता संख्या 244 में खसरा नं० 1618 रकबा 0.91 है और खसरा नं० 1966/1619 रकबा 0.54 है कुल किता 02 कुल रकबा 1.45 है। भूमि किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ मैसर्स पंचशील कॉलोनाइजर्स प्रा० लि० जरिये निदेशक जुगलकिशोर अग्रवाल पुत्र विठ्ठलदास अग्रवाल जाति महाजन निवासी 22, भृगुनगर, प्रथम तल। सादे विनायक कॉम्प्लेक्स डीसीएम, अजमेर रोड जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमावर्दी की नकल संलग्न है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम झरना के साविक(पुराने) खसरा नं० 980 रकबा 0-05 बाघा के नये खसरा नं० 1750 रकबा 0.06 है तथा साविक खसरा नं० 1120/890 गिन रकबा 5-15 बाघा के नये खसरा नं० 1618 रकबा 0.91 है और खसरा नं० 1966/1619 रकबा 0.54 है बने हैं। मिलान क्षेत्रफल संलग्न है।

1. प्रसंगगत खसरा की दिनांक 09.09.2019 से प्रभावी डीएलसी दर 6,56,375 रु० प्रति बाघा है। डीएलसी की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2. प्रसंगगत खसरा नंबरान 1618 व 1966/1619 में मौके पर ग्रवल सड़क डाल कर प्लॉटिंग की गयी है। अन्य कोई निर्माण मौके पर नहीं है। राजस्व अभिलेख के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान पर किसी न्यायालय का कोई स्थगन/वाद-विवाद नहीं है।